



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CKSLR 7107



नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हल्का	हलका-02						
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान(VOL)	14	पृष्ठ संख्या वर्तमान	32	थाना न.	12						
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है			कारोबार विस्तृत सूचना			लगान	रजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति
8763	3666 /R27 2019 - 2020	कोलाकुशमा/ 12	झरिया	02/03/2020	By Sale Registration Deed 6383 Dated 25/09/2018	खाता न.	भाग वर्तमान	पृष्ठ संख्या वर्तमान	खाता न.	प्लॉट न.	क्षेत्रफल	4	
						301	1	301	301	718	3.3 डिसमील		

क्रेता का नाम :
(श्रीमती स्वपन दे देवधरियापति-स्व0 प्रभात कुमार देवधरिया,
जाति-ब्राहमण, पता-सावरडीह सुदामडीह)

जमाबंदी रैयत का नाम :
प्रहलाद मंडल-पिता-वानेशवर मंडल

विक्रेता का नाम :
श्री मंतोष चन्द्र मंडल, श्री फटिक चन्द्र मंडल, पिता-स्व0 सारथी
मंडल, जाति-----, पता-कोलाकुशमा


राजस्व कर्मचारी हलका-02 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित।
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Signature valid

Digitally signed by

PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद



आदेश

तिथि
Mar 2 2020

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदानुसार आवेदित जमीन मौजा कोलाकुशमा थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
301	718	0 एकड़, 3.3 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री मंतोष चन्द्र मंडल	पिता	स्व0 सारथी मंडल
श्री फटिक चन्द्र मंडल	पिता	स्व0 सारथी मंडल

हे जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 6383 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रियत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
प्रहलाद मंडल	पिता	वानेशवर मंडल
तारापद मंडल	पिता	हरि मंडल
आलागनी मंडलाईन	पिता	नकुल मंडल

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व कमचारी एबम अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत हेतु अनुसंसा किया गया है अंत दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **4रुपये**
स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण
किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
PRASANT KUMAR LAYAK
अंचलाधिकारी धनबाद